

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/796/4948
प्रति,

भोपाल दिनांक 02/03/2021

01. संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
02. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकि कार्यालय.....(समस्त)

विषय :- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में एच.आर. सॉफ्टवेयर में अधिकारी/कर्मचारियों के व्यक्तिगत डाटा की प्रविष्टि करने के संबंध में।

संदर्भ : मण्डी बोर्ड मुख्यालय का समसंख्या पत्र क्र 335 दिनांक 03.05.19 एवं पत्र क्रमांक-3263 दिनांक 24.12.2019 व पत्र क्रमांक 4132 दिनांक 11.01.2021 तथा पत्र क्रमांक 4598 दिनांक 05.02.2021

—00—

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एच.आर. सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों से संबंधित सेवापुस्तिका एवं अभिलेखों के आधार पर आपके कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की समस्त व्यक्तिगत अभिलेख/जानकारी की प्रविष्टि की जाने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों से बार-बार निर्देश दिये जा चुके हैं। परन्तु जानकारी आज दिनांक तक अपूर्ण हैं।

प्रबंध संचालक महोदया द्वारा एच.आर.सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत प्रविष्टियों के बारे में बारम्बार व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुये समस्त आंचलिक कार्यालयों एवं तकनीकि संभागों के क्रियाकलापों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी हैं एवं एच.आर.सॉफ्टवेयर से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में संधारित राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत आंचलिक कार्यालय/तकनीकि कार्यालय तथा कृषि उपज मंडी समिति में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका/अभिलेखों की त्रुटि रहित जानकारी दिनांक 08.03.2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करायी जावे। निर्धारित तिथि तक उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध वरिष्ठालय के आदेशों/निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त एच.आर.सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के संचालन में यदि कोई तकनीकि कठिनाई आती है तो उसके निराकरण हेतु श्री रामकिशुन असाटी, कम्प्यूटर कंसल्टेंट से मोबाइल न. 8770378465 पर संपर्क किया जा सकता है।

(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (कार्मिक)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. चीफ प्रोग्रामर, एम.आई.एस. शाखा की ओर सूचनार्थ।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....।
4. सहायक संचालक (बोर्ड/मंडी कार्मिक) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. श्री राम किशुन असाठी अधिकृत कंसलटेन्ट मंडी बोर्ड मुख्यालय (एच.आर. सॉफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार इन्द्राज की कार्यवाही) मुख्यालय/आंचलिक/तकनिकी कार्यालय तथा प्रदेश की मंडियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी निर्धारित तिथि तक पूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
6. श्रीमति ऐलिस एक्का, श्रीमति सुनैना प्रसाद अनुभाग अधिकारी (मंडी/बोर्ड कार्मिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय/आंचलिक/तकनिकी कार्यालय एवं मंडी समितियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ति कराते हुये अवगत कराना सुनिश्चित करे।

02.3.21

संयुक्त संचालक (कार्मिक)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल